बिहार सरकार
गन्ना उद्योग विभाग

आदेश

सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक–28.08.2025 को आयोजित बैठक की कार्यवाही विभागीय ज्ञापांक–1362 दिनांक–01.09.2025 को निर्गत है। उक्त कार्यवाही के कंडिका–02 द्वारा श्री राम ईश्वर प्रसाद, सहायक निदेशक, ईख विकास, बेतिया को यह निदेश दिया गया था कि जिन कृषि यंत्र डीलर के द्वारा मनमानी की जा रही है उन्हें ब्लैक लिस्ट कर दिया जाय तथा इसकी सूचना स्थानीय मिडिया एवं सोशल मिडिया में दिया जाय।

2. उक्त निदेश का अनुपालन नहीं करने के कारण विभागीय पत्रांक–1398 दिनांक–03.09.2025 द्वारा श्री राम ईश्वर प्रसाद सहायक निदेशक ईख विकास बेतिया, का एक दिन का वेतन स्थागित करते हुए स्पष्टीकरण की माँग की गई। श्री प्रसाद के पत्रांक–343 दिनांक–09.09.2025 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया।

3. श्री प्रसाद के स्पष्टीकरण पर उप निदेशक, ईख विकास, मोतिहारी से विभागीय पत्रांक–1611 दिनांक–16.10.2025 द्वारा मामले की जाँच कर जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। उप निदेशक, ईख विकास मोतिहारी के पत्रांक–148 दिनांक–04.11.2025 द्वारा जाँच प्रतिवेदन विभाग में समर्पित किया गया जिसके समीक्षोपरान्त निम्नांकित त्रुटियाँ पाई गई:–

i) मेसर्स शशि ट्रेडर्स, बेतिया के द्वारा किसान को कृषि यंत्र की आपूर्ति की गई।
ii) विभागीय जनसेवक के द्वारा अपने प्रथम जाँच प्रतिवेदन में यंत्र आपूर्ति को अस्वीकृत किया गया, क्योंकि जो यंत्र आपूर्ति किए गए थे, उसमें विभाग की मार्गदर्शिका का पालन नहीं हुआ था।
iii) मेसर्स शशि ट्रेडर्स ने सहायक निदेशक पर कमीशन मांगने का आरोप लगाया। सहायक निदेशक एवं डीलर के बीच अकथ्य घटनाक्रम के बाद मशीन मेसर्स शशि ट्रेडर्स ने जो यंत्र उपलब्ध कराई थी, उसे बदलकर नया यंत्र किसान को दिया गया, जिसपर मार्गदर्शिका के अनुसार सूचनाएं उल्लेखित थी, जिसकी जांच फिर से जनसेवक द्वारा की गई तथा उसे सत्यापित कर दिया गया।
iv) यह समझने में कठिनाई है कि एक बार जनसेवक के द्वारा यंत्र को अस्वीकृत करने के बाद फिर से किस परिस्थिति में पदाधिकारी एवं डीलर तथा किसान के बीच यंत्र में बदलाव तथा सत्यापन का कार्य किया गया है।

4. प्रस्तुत मामले के समीक्षोपरान्त सम्यक रूप से निम्न निर्णय लिया जाता है:–

i) इस मामले में मेसर्स शशि ट्रेडर्स दोषी है कि प्रथमतः जिस यंत्र की आपूर्ति का दावा उन्होंने पहली बार किया था, वह यंत्र किसानों के पास उपलब्ध नहीं था। मेसर्स शशि ट्रेडर्स को अविश्वसनीय विक्रेता के रूप में सूचीबद्ध करते हुए उन्हें सुमेक पोर्टल से हटाने का निर्णय लिया जाता है, ताकि किसानों को भविष्य में किसी तरह की परेशानी न हो। विभाग द्वारा मेसर्स शशि ट्रेडर्स के संबंध में की गई कार्रवाई की सूचना कृषि विभाग एवं अन्य विभागों को भी दी जायेगी, ताकि वे अपने विभाग के स्तर पर दी जाने वाली योजना लाभ में मेसर्स शशि ट्रेडर्स को सूचीबद्ध करने में पुनः विचार कर सकें।

ii) श्री राम ईश्वर प्रसाद, सहायक निदेशक, ईख विकास, बेतिया, विभाग के द्वारा दिये गये आदेश को अनुपालन करने में अक्षम रहें है। अतएव एक दिन का स्थगित वेतन विमुक्त करते हुए श्री प्रसाद को चेतावनी संसूचन के साथ निदेश दिया जाता है कि भविष्य में विभाग के आदेश के अनुपालन में अक्षम

रहने अथवा इसकी पुनरावृति होने पर उनके विरूद्ध विभागीय जाँच कराकर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

5. प्रस्ताव पर प्रधान सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–
ईखायुक्त, बिहार

ज्ञापांक– 2119/ई०का० **पटना, दिनांक–**21 **नवम्बर, 2025**

प्रतिलिपिः–अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव सभी विभाग/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ईखायुक्त बिहार के निजी सहायक/उप निदेशक ईख विकास मोतिहारी/श्री राम ईश्वर प्रसाद, सहायक निदेशक, ईख विकास, बेतिया/मेसर्स शशि ट्रेडर्स, मिथलेश देवी नगर, चनपटिया रोड, बेतिया डिह, पश्चिम चम्पारण, बिहार पिन कोड–845438,GSTIN:10CSWPK4916P2Z2/कोषागार पदाधिकारी पश्चिम चम्पारण बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित तथा विभागीय आई० टी० मेनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

21/11/25

ईखायुक्त, बिहार।